

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी०एम०पी० संख्या—२७९ / २०१९

उमेश राम

..... याचिकाकर्ता

बनाम

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक के माध्यम से, जिसका दरभंगा हाउस, राँची और अन्य स्थानों में अपना कार्यालय है।

..... विपक्षी पार्टी

कारम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सुचेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता

विपक्षी पार्टी के लिए :

०४ / १०.१२.२०२१ यह सी०एम०पी०, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०—३५३२ / २०१८ को पुनःस्थापित करने हेतु दायर किया गया है, जिसे ०४.०२.२०१९ के अनुलंघनीय आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अनजाने में वह समय के भीतर आदेश का पालन नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि कारणों को सिविल विविध याचिका में समझाया गया है। याचिकाकर्ता बिना शर्त माफी मांगता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही रिट एप्लिकेशन को पुनःस्थापित किया जाता है, वह त्रुटियों को दूर करेगा।

उनके सबमिशन के मद्देनजर डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०—३५३२ / २०१८ को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है। याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

तदनुसार, इस सिविल विविध याचिका की अनुमति दी जाती है।

(आनंदा सेन, न्याया०)